राजभाषा से संबंधित विभिन्न समितियाँ

1. केंद्रीय हिंदी समिति:

माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित इस समिति में केंद्र सरकार के कुछ कैबिनेट मंत्री, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री तथा हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के विद्वान सदस्य के रूप में नामित किए जाते हैं।

2. संसदीय राजभाषा समिति:

इस समिति में कुल 30 सांसद होते हैं, 20 लोकसभा से तथा 10 राज्यसभा से। गृह मंत्री इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। आलेख एवं साक्ष्य उप समिति के अतिरिक्त इसकी तीन और उप समितियाँ भी होती हैं - पहली उप समिति, दूसरी उप समिति तथा तीसरी उप समिति। देश भर में राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति का जायजा लेने के उद्देश्य से यह समिति कार्यालयों का राजभाषायी निरीक्षण करती है और अपनी संस्तुतियाँ माननीय राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करती है। राष्ट्रपति इन पर अपने आदेश जारी करते हैं।

3. केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति:

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों आदि में राजभाषा कार्यान्वयन को दिशा देने के लिए गठित इस समिति की अध्यक्षता सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार करते हैं और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी इसके सदस्य होते हैं।

4. हिंदी सलाहकार समिति:

यह समिति मंत्रालय अथवा विभाग स्तर पर गठित की जाती है। संबंधित मंत्रालय/विभाग तथा अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में मार्गदर्शन एवं दिशा-निर्देश देना इस समिति का प्रमुख दायित्व है।

5. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास):

इस समिति नगर के स्तर पर किया जाता है। नगर में स्थित भारत सरकार के कार्यालयों के अध्यक्षों में से वरिष्ठतम को इस समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। बड़े नगरों में जहाँ कार्यालयों की संख्या काफी अधिक होती है वहाँ सार्वजनिक उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों/बीमा कंपनियों की अलग से समितियाँ गठित की गई हैं।

6. कार्यालयीन राजभाषा कार्यान्वयन समिति (राभाकास):

इस समिति का गठन कार्यालय स्तर पर किया जाता है। कार्यालय प्रमुख इस समिति के अध्यक्ष तथा सभी विभागाध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं। कार्यालय के राजभाषा अधिकारी इसके सदस्य-सचिव होते हैं। तिमाही आधार पर इसकी बैठकें आयोजित की जाती हैं और कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन की समीक्षा की जाती है।